कार्यालय अंचल अधिकारी, कर्रा।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं0– [illegible] /

वाद का प्रकार:– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक स0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
[illegible]	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 संलग्नित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0 -03 ख0न0नीति -119 / 55 / 2308 / रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं संलग्न नहित राजस्व विभागीय परिपत्र स0–914 / रा0, दिनांक 09.12.1196 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारंभ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणों की भूमि – मौजा [illegible] थाना नं0 [illegible] खाता नं0 [illegible] खेसरा नं0 .... रकबा [illegible] एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास अनाबाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उक्त मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या [illegible] के पृष्ठ संख्या [illegible] पर जमाबंदी रैयत [illegible] .... पिता / पति [illegible] के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणों की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम द्रष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनसे कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक [illegible] को रखें। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी कर्रा। [illegible] अंचल अधिकारी कर्रा।	

आदेश का क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी

अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत सनिका मुण्डा पिता बिरसा मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप मे सादा हुकुमनामा दिनांक 12.5.1941 जमींदारी लगान रसीद वर्ष सम्वत 1997–98 एवं सरकारी लगान रसीद वर्ष 1998–99 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है ,

जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा रोलागुटू थाना नं0 135 के सर्वे खतियान में खाता सं0 226, रकबा क्रमश 2.00 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास परती कदीम दर्ज है।

राजस्व मांग पंजी ii भाग II के पृष्ट स0 70, खाता सं0 226 रकबा 2.00 एकड़ सनिका गुण्डा पिता बिरसा मुण्डा के नाम दर्ज है। प्रधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। वर्तमान पंजी II में रसीद निर्गत होने का उल्लेख नहीं है। बंदोबस्ती पंजी में भी इसका उल्लेख नहीं है।

संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी से संबंधित उपयुक्त व नियमानुकुल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। रैयत द्वारा वर्षवार लगान जमा दर्ज नहीं पाया गया। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल–कब्जा नहीं है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा रोलागुटू थाना न0 135, खाता स0 226, रकबा 2.00 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत सनिका मुण्डा पिता बिरसा मुण्डा के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।

अत राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशसा के आधार पर मौजा रोलागुटू, थाना नं0 135, खाता सं0 226, रकबा 2.00 एकड भूमि की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित्र संशोधित।

अंचल अधिकारी
कर्रा।

अंचल अधिकारी
कर्रा।